

राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे-7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/ 26652 जयपुर, दिनांक- 4/9/19

परिपत्र संशोधन आदेश

(साथिन का मानदेय सेवा पर चयन करने, हटाने एवं अवकाश, साथिन कलेण्डर आदि अन्य विविध मामलों की प्रक्रिया)


विभाग द्वारा साथिन के मानदेय सेवा पर चयन, सेवा से पृथक्कीकरण एवं अवकाश आदि प्रकरणों के लिए प्रसारित दिशा-निर्देश/परिपत्र क्रमांक प.19(1)(6)निमअ/मविका/सा.चयन/2014-15/22430 दिनांक 05.07.2017 में निम्नानुसार संशोधन किये जाते हैं, ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे:-

(i) बिन्दु संख्या- 1 (ix) :- उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. द्वारा ग्राम साथिन के पद रिक्ति की विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात चयन की सम्पूर्ण प्रक्रिया ग्राम पंचायत द्वारा 2 माह की समयावधि या 1 ग्राम सभा आयोजन में पूर्ण नहीं की जाती है तो उपनिदेशक/सहायक निदेशक/सुपरवाइजर/प्रचेता, महिला अधिकारिता द्वारा उक्त वरीयता सूची एवं आवेदन पत्रों को प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग के आदेश संख्या एफ.6(34)प्र.सु/अनुभाग-3/2013 दिनांक 02.09.2019 के द्वारा निम्नानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद की अध्यक्षता में गठित ग्राम साथिन चयन समिति को ग्राम सभा आयोजन की तिथि से 15 दिवस में चयन समिति को समस्त प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे-

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - अध्यक्ष
- संबंधित पंचायत समिति के सदस्य - सदस्य
- उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता - सदस्य सचिव
- बाल विकास परियोजना अधिकारी - सदस्य
- मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी - सदस्य
- प्रचेता/महिला सुपरवाइजर - सदस्य

चयनित अभ्यर्थी की सूचना संशोधित परिशिष्ट स" के अनुसार उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. को प्रेषित की जायेगी। जिला उपनिदेशक/सहायक निदेशक, मअ. का यह उत्तरदायित्व होगा कि सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होने के 75 दिन में पूर्ण हो जाये (विज्ञप्ति, चयन एवं कार्यादेश का प्रारूप संलग्न है)।

बिन्दु संख्या- 4 (iii) को विलुप्त किया जाता है।
नोट-शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।


(पी.सी.प्रवन)
निदेशक
महिला अधिकारिता

कृ.पृ.उ.....

26653-26802

जयपुर, दिनांक- 4/9/19

क्रमांक-प.19(1)(6)निमअ/मविका/साथिन चयन/14-15/

प्रतिलिपि :-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
4. समस्त जिला प्रमुख।
5. समस्त जिला कलेक्टर।
6. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्।
7. समस्त उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता।
8. प्रधान, पंचायत समिति, समस्त।
9. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति।
10. समस्त बाल विकास परियोजना, अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ।
11. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।

(डॉ. आभा जैन)

अतिरिक्त निदेशक
महिला अधिकारिता

दिनांक 04.09.2019 संशोधित परिशिष्ट 'स'

ग्राम साथिन चयन समिति द्वारा साथिन पद के लिए अभिशंषा भेजने का प्रपत्र

दिनांक

जिले का नाम:-

पंचायत समिति का नाम:-.....

ग्राम पंचायत का नाम:-

ग्राम साथिन चयन समिति द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली आवेदक श्रीमती पुत्री/पत्नी श्री निवासी के नाम की अभिशंषा ग्राम साथिन चयन समिति की बैठक दिनांक के प्रस्ताव संख्याके अनुसार ग्राम पंचायतकी साथिन के मानदेय सेवा पद के लिए की जाती है।

हस्ताक्षर
(अध्यक्ष)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)

हस्ताक्षर
(सदस्य)